न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा सख्या 476 / 2022

रजू दिनांक 21.11.2022

निर्णय दिनांक 25.05.2023

उनवान

1. बस्तीराम पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
3. ओमप्रकाश पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
4. ताराचन्द पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
5. विकास पुत्र हरचंद पौत्र भोमराम पडपोत्र रामरख जाति अहीर
6. विपिन पुत्र हरचंद पौत्र भोमराम पडपोत्र रामरख जाति अहीर
7. शीला देवी पत्नी हरचन्द जाति अहीर निवासीयान हुडिया कलां तह0 नीमराना

वादीगण

बनाम

1. अभयसिंह पुत्र सुल्तान जाति अहीर
2. प्रवीण कुमार पुत्र सुल्तान जाति अहीर
3. वशन्तीदेवी पत्नी सुल्तान जाति अहीर
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तान जाति अहीर
5. विनोद कुमार पुत्र सुल्तान जाति अहीर
6. कमलेश देवी पत्नी मूलचन्द जाति अहीर
7. सुरेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
9. उपपंजीयक,नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

10. अजीतसिंह पुत्र फुलचन्द जाति अहीर
11. कृष्णा पत्नी फूलचन्द जाति अहीर
12. मधुवाला पुत्री फूलचन्द जाति अहीर
13. यादव राजेन्द्र भाई पुत्र फूलचन्द जाति अहीर
14. शर्मिला पुत्री फूलचन्द जाति अहीर
15. सुमित्रा पुत्री फूलचन्द जाति अहीर
16. विमला पुत्री सरदारा जाति अहीर
17. हरीसिंह पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।

:– तर. प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:–

1. श्री मुकेश कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. **वादीगण** ने वाद पेशकर निवेदन किया कि आराजी ख.नं.साविक 78 / 01–08 बिस्वा ,244 / 02–06,261 / 0–19,244 / 407 / 0–04 जिनके हाल ख.नं. 216 / 0.32,396 / 0. 0.06,397 / 0.55,516 / 0.07,517 / 0.07,518 / 0.12,521 / 0.27 वाके ग्राम हुडिया कला **तह0नीमराना** का साविक रिकॉर्ड के अनुसार 1 / 2 भाग का खातेदार रघुवीर पुत्र नाथा **व 1 / 2** भाग के सुल्तान,मूलचन्द,फूलचन्द पुत्रान श्री भगवान,1 / 4 दर हिस्सा 1 / 2

Sidd/2023

यानि 1/8 भाग के व 1/2 दर हिस्सा 3/4 भाग के भोमा,पोहकर,सरदारा पुत्रान रामरख 1/8 भाग पर भोमा व 1/8 भाग पर पोहकर व 1/8 भाग पर सरदारा काबिज काश्त थे इनके फौत होने के पश्चात इनके वारिसान काविज काश्त है। मृतक रामकरण के परिवार का सजरा वाद मे अंकित किया जा रहा है। सजरे के एव राजस्व रिकॉर्ड के मुताबिक फूलचन्द,मूलचन्द,सुल्तान पुत्रान भगवानसिंह 1/8 भाग पर यानि प्रत्येक का 1/24,1/24 भाग व 1/8 भाग पर भोमाराम व 1/8 भाग पर पोहकर पुत्र रामरख व 1/8 भाग पर सरदारा व 1/2 भाग पर रघुवीर पुत्र नाथा काविज काश्त करते आ रहे हे तथा पोहकर पुत्र रामरख ने अपने 1/8 भाग मे से 2/3 भाग यानि 1/12 भाग को वेचान मूलचन्द पुत्र भगवान व 1/3 भाग यानि 1/24 भाग को फूलचंद,सुल्तान पुत्र भगवान को वेचान कर दिया जिससे मूलचन्द 1/8 भाग पर व सुल्तान कुल 1/16 भाग पर व फूलचंद 1/16 भाग पर काश्त करते आ रहे है तथा 1/8 भाग पर भोमाराम व 1/8 भाग पर सरदारा व 1/2 भाग पर रघवीर पुत्र नाथा काश्त करते आ रहे है। तथा जमावंदी संवत 2024 मे वंदोवस्त विभाग के कर्मचारी व अधिकारी ने हाल नं. कायम करते समय रघवीर पुत्र नाथा, सुल्तान,मूलचंद ,फूलचंद पुत्रान भगवाना 1/4 दर हिस्सा 1/2 भोमाराम,पोहकर,सरदारा पिता रामरख,1/4 दर हिस्सा 1/2 दर्ज कर दिया जो रघुवीर व सुल्तान ,मूलचंद,फूलचंद का हिस्सा सही दर्ज कर दिया लेकिन सहवन से भोमाराम,पोहकर सरदारा पुत्रान रामरख 1/4 दर हिस्सा 1/2 अंकित कर दिया जवकि 3/4 दर हिस्सा 1/2 होना चाहिए था। जो अन्य रिकॉर्ड मे इसी प्रकार से दर्ज है,तथा भोमा के फौत होने के पश्चात वादीगण कुल 1/8 भाग पर यानि वादी सं. 01 लगा. 04 प्रत्येक का 1/40,1/40 भाग व 1/40 भाग हरचन्द का हरचन्द फौत हो चुका है जिससे वादी सं0 05 लगा. 07 काविज है। तथा सुल्तान के फौत होने के पश्चात उसके वारिसान प्रति0 01 लगा. 05 व देशराज पुत्र सुल्तान कुल 1/16 भाग पर यानि प्रत्येक असल प्रतिवादी सं 01 लगा. 05 व देशराज का 1/96,1/96 भाग ,देशराज पुत्र सुल्तान अविवाहित फोत हो चुका हे जिससे प्रतिवादी सं. 01 लगा0 05 प्रत्येक 1/80,1/80 भाग पर तथा मूलचंद के फौत होने के पश्चात मूलचंद के वारिसान प्रतिवादी सं. 06,07 प्रत्येक का 1/16,1/16 भाग है व फूलचंद के फौत होने के पश्चात उसके वारिसान तर0प्रति0 सं. 10 लगा. 15 1/16 भाग पर यानि प्रत्येक 1/96,1/96 भाग तथा सरदारा के फौत होने के पश्चात उसके वारिसान तर0प्रति. सं. 16,17 1/8 भाग यानि प्रत्येक का 1/16,1/16 भाग है तथा रघवीर पुत्र नाथा के फौत होने के पश्चात रघवीर के वारीसान के नाम कुल 1/2 भाग सही दर्ज है।

2. वादीगण कुल 1/8 भाग पर यानि प्रत्येक वादी सं0 01 लगा. 4 का 1/40,1/40 भाग व वादी सं. 05 लगायत 07 का कुल 1/40 यानि वादी सं0 05 लगायत 07 प्रत्येक का 1/20,1/20 भाग है जिस पर विना किसी रोक टोक के काविज रह कर काश्त करते आ रहे है। मौके पर काविज काश्त है। दिनांक 30.08.2022 को हम वादीगण ने किसान क्रेडिट कार्ड की पत्रावली वनवाने के लिए पटवारी हल्का से मिले तव पटवारी हल्का ने वताया कि वादी सं0 01 लगा. 04 व मृतक हरचंद प्रत्यके भाई का 1/40,1/40 भाग रिकॉर्ड मे है। जिस पर हम वादीगण ने नकले प्राप्त की तव पता चला कि वंदोवस्त विभाग के कर्मचारीयों ने हाल ख.नं. वनाते समय विना मौके पर कब्जा की जांच किए विना साविक रिकॉर्ड का अवलोन किए विना पुछताछ के हम वादीगण का हिस्सा कम कर प्रतिवादीगण की खातेदारी मे वढा दिया जो खिलाफ मौका खिलाफ कानून व साविक रिकॉर्ड के है।

3. समस्त राजस्व दस्तावेजो की नकले प्राप्त कर प्रतिवादीगण को आराजी मुतनाजा का राजस्व इन्द्राज दुरूस्त कराने के लिए कहा तो पहले तो हॉ की लेकिन दिनांक 10. 11.2022 को साफ इंनकार हो गए जिस सूरत मे दावा इस्तकारार हक किया जाना लाजिम आया है। वादीगण इस आशय की डिक्री प्राप्त करने के मुस्तहक है कि आराजी मुतनाजा के मुताविक साविक रिकार्ड परिवार सजरा के वादी सं. 01 लगा. 04 प्रत्यके का हिस्सा 1/20,1/20,व वादी सं. 05 लगा. 07 कि पिता/पति मृतक हरचंद का 1/20 भाग, प्रतिवादी सं0 1/5 व देशराज पुत्र सुल्तानसिंह का 1/8

ण्ड अधिकारी
राना (अलवर)

भाग यानि जो देशराज अविवाहित फौत हो गया जिससे प्रतिवादीगण सं 1लगा.5 प्रत्येक का 1/40.1/40 भाग व प्रतिवादी सं. 6,7 कुल 1/4 भाव व तर0प्रति0 सं. 10 लगा.द 15 का कुल 1/8 भाग व तर0प्रति0 16,17 कुल 1/4 भाग दर्ज किया जावे।

4. प्रतिवादीगण सं. 01 लगा. 05 गलत राजस्व इन्द्राज के आधार पर आराजी मुतनाजा पर जबरन कब्जा करना चाहते है तथा अपनी आराजी मे शामिल कर दिगर लोगों को बेचान करने ना करे.इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को हु0ई0दवामी से पाबंद कराने के अधिकारी है कि वे विवादित आराजी के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

5. अन्त मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने कि प्रार्थना कि है:–
(क) डिक्री इस्तकरार हक व दुरुस्ती इंद्राज बहक वादीगण एंव तर0प्रति. विरुद्व असल प्रतिवादीगण इस आशय कि सादर अता फरमाई जावे कि आराजी हाल 216,396,397,516,517,518,521 वाके ग्राम हुडिया कलां तह0नीमराना का मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरुस्त किया जाकर असल प्रतिवादीगण सं. 01 लगा0 07 के हिस्से मे बढाया हुआ है को मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरुस्त किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं0 01 लगा0. 05 व देशराज पुत्र सुल्तान अविवाहित फौत हुआ है, जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 05 व देशराज का हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रत्येक का 1/40,1/40 भाग अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 6,7 का हिस्सा कलमजन किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं. 6,7 का कुल 1/4 भाग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 लगा. 7 के हिस्से मे से कम किया गया हिस्सा वादीगण व तर0प्रति0 के हिस्से मे बढाया जाकर वादी सं0 01 लगा. 04 प्रत्येक को 1/20,1/20 भाग का व हरचन्द पुत्र भोमाराम का स्वर्गवास हो गया की सूरत मे हरचन्द का नाम 1/20 भाग से कलमजन किया वादी सं0 05 लगा. 7 प्रत्येक को 1/60,1/60 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा तर0प्रति0 सं0 10 लगा. 15 को प्रत्येक को 1/48,1/48 भाग का व प्रति. सं. 16,17 को कुल 1/4 भाग यानि प्रत्येक को 1/8,1/8 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे।
(ख) डिक्री हु0ई0दवामी से प्रतिवादीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि आराजी विवादित वाके ग्राम कायसा के हाल रिकॉर्ड मे गलत इंद्राज के आधार पर वादीगण को जबरन बेदलख नही करे ना ही रह बय करे,मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।
(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।
(घ) अन्य अनुतोष बैय नजदीक अदालत श्रीमान हो सादीर फरमाया जावे।

6. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया । बाद तामिल प्रतिवादीगण तामिल प्रतिवादीगण न्यायालय हाजा मे उपस्थित नही हुए। लिहाजा उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई वादीगण ने अपने वाद की ताईद मे ताराचन्द पुत्र भोमारा का शपथपत्र पी0डब्लू0 01,दुर्गाप्रसाद पुत्र भगवानसिंह का शपथपत्र पी0डब्लू0 02,तथा दरतावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबंदी संवत 2076–79 प्रदर्श 01,नकल जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2042 प्रदर्श 02,नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03,नकल जमाबंदी संवत 2033 प्रदर्श 04,नकल जमाबंदी संवत 2025 प्रदर्श 05,नकल जमाबंदी संवत 2029 प्रदर्श 06,नकल इंतकाल सं0 78 प्रदर्श 07,नकल जमाबंदी भूप्रबध विभाग संवत 2020 प्रदर्श 08, नकल नोटिस धारा 80सीपीसी0 प्रदर्श 09,रसीद पोस्ट ऑफिस प्रदर्श 10 पेश की है।

7. वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के सलंग्न नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 प्रदर्श 03 के अनुसार साबिक ख.नं. के हाल ख.नं. निम्न प्रकार कायम किए गए है:–

ड अधिकारी
ना (अलवर)

सवंत 2042			
हाल	साबिक	हाल	साबिक
216/0.32	78/01–08	396/0.06	244/407/0–09
397/0.55	244/02–06	516/0.07	261मिन/01–19
517/0.06	261मिन/——	518/0.12	261मिन/——
521/0.27	261मिन/——		

नकल जमाबंदी संवत 2025 के अनुसार साबिक ख.नं. 78,244,261,244/407 का रघुवीर पुत्र नाथा 1/2,सुल्तान,मूलचंद,फूलचंद पिता भगवान हिस्सा 1/4 हिस्सा दर 1/2 व भोमा,पोहकर ,सरदारा पिता रामरख 1/4 दर 1/2 जाति अहीर सा0देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नकल इंतकाल सं0 78 प्रदर्श 07 के अवलोकन से साबित है कि पोहकर पुत्र रामरिख द्वारा मूलचंद पुत्र भगवानसिंह हिस्सा 2/3 व सुल्तानसिंह,मूलचंद पिता भगवानसिंह हिस्सा 1/3 को बेचान किया गया है। इंतकाल सं0 78 का अमल जमाबंदी संवत 2029 मे किया गया है। जिसमे भोमा,सरदारा पिता रामरिख 1/2,सुल्तान ,फूलचंद,मूलचंद पिता भगवान 1/4,मूलचंद पुत्र भगवान 1/4 दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी भूप्रबंध विभाग संवत 2042 प्रदर्श 02 के अवलोकन से साबित है कि वादी सं0 01 लगा0 04 व वादी सं0 05 लगा0 07 व तर0प्रति0 10 लगा0 15 के बुजुर्गान का हिस्सा साबिक रिकॉर्ड अनुसार दर्ज नही किया गया है। तथा प्रतिवादी असल 01 लगा 7 के बुजुर्गान प्रतिवादीगण का हिस्सा बेसी दर्ज किया गया है। जो काबिले दुरूस्ती है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत साबिक व हाल रिकॉर्ड अनुसार वादीगण का वाद साबित होता है। वाद वादीगण कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

8. अतः आदेश है कि:–

वाद वादीगण बहक वादीगण व तर0प्रति0 सं. 10 लगा. 15 विरूद्व प्रतिवादीगण असल बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर आराजी हाल 216,396,397,516,517,518,521 वाके ग्राम हुडिया कलां तह0नीमराना का मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर असल प्रतिवादीगण सं. 01 लगा0 07 के हिस्से मे बढाया हुआ है को मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं0 01 लगा0. 05 व देशराज पुत्र सुल्तान अविवाहित फौत हुआ है, जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 05 व देशराज का हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रत्येक का 1/80,1/80 भाग अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 6,7 का हिस्सा कलमजन किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं. 6,7 का कुल 1/8 भाग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 लगा. 7 के हिस्से मे से कम किया गया हिस्सा वादीगण व तर0प्रति0 के हिस्से मे बढाया जाकर वादी सं0 01 लगा. 04 प्रत्येक को 1/40,1/40 भाग का व हरचन्द पुत्र भोमाराम का स्वर्गवास हो गया की सूरत मे हरचन्द का नाम 1/40 भाग से कलमजन किया वादी सं0 05 लगा. 7 प्रत्येक को 1/120,1/120 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तर0प्रति0 सं0 10 लगा. 15 को प्रत्येक को 1/96,1/96 भाग का व प्रति. सं. 16,17 को कुल 1/8 भाग यानि प्रत्येक को 1/16,1/16 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2023 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

25/5/2023

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

मुकु... (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(अलवर)
पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
476/2022	21.11.2022	25.05.2023

उनवान

1. बस्तीराम पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
2. बाबूलाल पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
3. ओमप्रकाश पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
4. ताराचन्द पुत्र भोमराम पौत्र रामरख जाति अहीर
5. विकास पुत्र हरचंद पौत्र भोमराम पड़पोत्र रामरख जाति अहीर
6. विपिन पुत्र हरचंद पौत्र भोमराम पड़पोत्र रामरख जाति अहीर
7. शीला देवी पत्नी हरचन्द जाति अहीर निवासीयान हुडिया कलां तह0 नीमराना

वादीगण

बनाम

1. अभयसिंह पुत्र सुल्तान जाति अहीर
2. प्रवीण कुमार पुत्र सुल्तान जाति अहीर
3. बशन्तीदेवी पत्नी सुल्तान जाति अहीर
4. विजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तान जाति अहीर
5. विनोद कुमार पुत्र सुल्तान जाति अहीर
6. कमलेश देवी पत्नी मूलचन्द जाति अहीर
7. सुरेन्द्र पुत्र मूलचन्द जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार,नीमराना।
9. उपपंजीयक,नीमराना।

असल प्रतिवादीगण।

10. अजीतसिंह पुत्र फुलचन्द जाति अहीर
11. कृष्णा पत्नी फूलचन्द जाति अहीर
12. मधुबाला पुत्री फूलचन्द जाति अहीर
13. यादव राजेन्द्र भाई पुत्र फूलचन्द जाति अहीर
14. शर्मिला पुत्री फूलचन्द जाति अहीर
15. सुमित्रा पुत्री फूलचन्द जाति अहीर
16. बिमला पुत्री सरदारा जाति अहीर
17. हरीसिंह पुत्र सरदारा जाति अहीर निवासीयान ग्राम हुडिया कलां तह0 नीमराना।

:– तर. प्रतिवादीगण।

दावा अतंगर्त धारा 88,89 व 188 आर0टी0एक्ट0।

उपस्थिती:–

1. श्री मुकेश कुमार यादव एड0 वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।

दिनांक: 25.05.2023

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बहक वादीगण व तर0प्रति0 सं. 10 लगा. 15 विरूद्व प्रतिवादीगण असल बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इंद्राज डिक्री किया जाकर आराजी हाल 216,396,397,516,517,518,521 वाके ग्राम हुडिया कलां तह0नीमराना का मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर असल प्रतिवादीगण सं. 01 लगा0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर)

Sidd/2023

07 के हिस्से मे बढाया हुआ है को मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्त किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं0 01 लगा0. 05 व देशराज पुत्र सुल्तान अविवाहित फौत हुआ है, जो प्रतिवादी सं. 1 लगा. 05 व देशराज का हिस्सा कलमजन किया जाकर प्रत्येक का 1/80,1/80 भाग अंकित किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 6,7 का हिस्सा कलमजन किया जाकर मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के प्रतिवादी सं. 6,7 का कुल 1/8 भाग दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं. 01 लगा. 7 के हिस्से मे से कम किया गया हिस्सा वादीगण व तर0प्रति0 के हिस्से मे बढाया जाकर वादी सं0 01 लगा. 04 प्रत्येक को 1/40,1/40 भाग का व हरचन्द पुत्र मोनाराम का स्वर्गवास हो गया की सूरत मे हरचन्द का नाम 1/40 भाग से कलमजन किया वादी सं0 05 लगा. 7 प्रत्येक को 1/120,1/120 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा तर0प्रति0 सं0 10 लगा. 15 को प्रत्येक को 1/96,1/96 भाग का व प्रति. सं. 16,17 को कुल 1/8 भाग यानि प्रत्येक को 1/16,1/16 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे अमलदरामद किया जावे। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

25/5/2023

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
नीमराना (अलवर)
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना